



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09072021-228195
CG-DL-E-09072021-228195

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2541]
No. 2541]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 9, 2021/आषाढ़ 18, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 9, 2021/ASHADHA 18, 1943

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना
नई दिल्ली, 11 जून, 2021

का.आ. 2746(अ).—केंद्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 27 फरवरी, 1971 में सा.का.नि. संख्याक 301(अ) तारीख 1 मार्च 1971 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन खाद्य, कृषि, समुदाय विकास और सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. (xv) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

“(xv) डा. एच.एस. रेहान

निदेशक, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष फार्माकॉलोजी, लेडी
हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली।

इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की
कालावधि के लिए।”

[फा.सं.13029/02/2019-पीपी-I]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में सा.का.नि. सं. 301 (अ) तारीख 1 मार्च, 1971 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन का.आ. 1245 (अ) तारीख 18 मार्च, 2021 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2021

S.O. 2746(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture), dated the 27th February, 1971 published in the Gazette of India, Part II, Section-3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 301 (E), dated the 1st March, 1971, namely:-

In the said notification, for serial number (xv) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

“(xv) Dr. H.S.Rehan,
Director, Professor and Head of Department Pharmacology,
Lady Hardinge Medical College, New Delhi.

For a period of three years from the date of publication of this notification.”

[F. No. 13029/02/2019-PP-I]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 301(E), dated the 27th February, 1971 and last amended *vide* number S.O. 1245 (E), dated the 18th March, 2021.